पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 142/2024

1. रामकृष्ण पुत्र विजय शंकर पुत्र जयनारायण जाति ब्राहमण निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

वादी

बनाम

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र जयनारायण जाति ब्राहमण निवासी चाहूवाली हाल आबाद मकान न0 78, सेक्टर न0 11, नजदीक सेन्टर जेल, हनुमानगढ़ जंक्शन।
2. प्रदीप पुत्र विजय शंकर जाति ब्राहमण निवासी चाहूवाली हाल नजदीक आटा चक्की, मकान न0 2बी, गली न0 1, सूर्यनगर, हनुमानगढ़ टाउन।
3. सीमा पुत्री विजयशंकर पत्नी स्व0 नरेन्द्र जाति ब्राहमण निवासी मकराना तहसील चरखी दादरी जिला भिवानी, हरियाणा।
4. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :—88 आर.टी.ए. घोषणा

डिक्री दिनांक :—9/12/24

वादी की ओर से श्री कुन्दनलाल अधिवक्ता व प्रतिवादीगण की ओर से जगदीष प्रसाद शर्मा अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख .... को सत्यनारायण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एंवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री पारित की जाती है कि चक 10 ए.जी. के खाता स0 63/89 खाता झमनलाल वगैरा में अंकित कुल भूमि 1.050 हैक्टैयर में वादी स्व0 विजयशंकर के नाम से अंकित 1/12 हिस्सा में से 1/24 हिस्सा अपने विरासतन हिस्सा की भूमि का व प्रतिवादी स0 1 के नाम अंकित भूमि 1/12 हिस्सा सहित कुल भूमि में 0.13125 हैक्टेयर हिस्सा का व प्रतिवादी स0 2 उक्त भूमि में 1/24 हिस्सा अर्थात 0.04375 हैक्टेयर के खातेदार काष्तकार घोषित किया जाता है व खाता में स्व0 विजय शंकर पुत्र जयनारायण जाति ब्राहमण निवासी चाहूवाली व प्रतिवादी स0 01 नरेन्द्र कुमार का नाम कलमजन किया जाने का आदेष दिया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी

में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैर मुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 3/12/19 मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	--	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--	अर्जी के लिये स्टाम्प	--
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	--	प्लीडर की फीस	--
रूपये पर प्लीडर की फीस	--	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--	आदेशिका की तामिल	--
कमिश्नर की फीस	--	कमिश्नर की फीस	--
आदेशिका की तामिल	--		
योग	--	योग	--